

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8135/2026

CNR: RJHC010593252026

URN: CRLMB / 17651U / 2026

1. Govind Singh S/o Roop Singh, Aged About 25 Years, Resident Of Pomawa, police Station Sumerpur Sadar, District Pali (Presently Lodged In District Jail Jalore)
2. Manveer Singh Alias Montu Singh S/o Kundan Singh, Aged About 25 Years, Resident Of Chandara, Police Station Bagra, District Jalore. (Presently Lodged In District Jail Jalore)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vikram Singh Jaitawat

For Respondent(s) : Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/07/2026

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **रामसीन, जिला जालोर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **89/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **329(4), 115(2), 324(4), 117(2), 118(2), 189(2)** भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि इस मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई धारदार हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 05.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में आहत दलपतसिंह के बयान का अवलोकन किया गया जिसमें संजयसिंह द्वारा सिर पर गंभीर चोट मारना, जिससे नीचे गिर जाना व अन्य लोगों द्वारा भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। चोट संख्या 2 गंभीर प्रकृति की होने से धारा 118(2) बीएनएस का अपराध इस मामले में जोड़ा गया है। धारदार हथियार की बरामदगी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से नहीं हुई है। सिर पर चोट प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मारना नहीं बताया है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. गोविन्दसिंह पुत्र रूपसिंह, 02. मानवीरसिंह उर्फ मोन्दुसिंह पुत्र कुन्दनसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J